न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/15/18	16–03–2018	18–06–2018

1–गंगादान पुत्र श्री भरतू माता जयकौर जाति जाट निवासी ग्राम नूरपुर तहसील मानेसर जिला गुडगांव प्रांत हरियाणा

–प्रार्थी

बनाम

1– सरोज देवी स्त्री रिच्छे जाति जाट निवासी ग्राम नूरपुर तहसील मानेसर जिला गुडगांवां प्रांत हरियाणा
2– रिच्छे पुत्र भरतू जाति जाट निवासी ग्राम नूरपुर तहसील मानेसर जिला गुडगांवां प्रांत हरियाणा

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थित–

01. श्री दिनेश यादव –वकील प्रार्थी
02. श्री संजय यादव –वकील अप्रार्थी

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी कोटाकासिम के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी गंगादान बनाम ग्राम पंचायत उजोली को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। वकील अप्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट ने इजकाल संख्या 417, 418, 419 दिनांक 05.06.2006 ग्राम जाटूवास ग्राम पंचायत उजोली के खिलाफ एक अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में पेश की हुई है , जिसमें 22.02.2018 को बहस सुनकर 19.03.2018 को वास्ते आदेश नियत थी, उक्त प्रकरण में जिस दिन बहस सुनी गयी थी बहस सुनने के उपरान्त प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में धुसते हुए व उनसे बातचीत करते हुए देखा। उसके बाद अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को कहा कि हमारी पीठासीन अधिकारी से बात हो गयी है, अगली पेशी पर तुम्हारी अपील खारिज हो जावेगी। जिससे प्रार्थी को स्पष्ट हो गया कि उक्त अपील का निर्णय निष्पक्ष नहीं होगा तथा पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय करने का इरादा है। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण के अनुचित प्रभाव में आ गये हैं। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष निर्णय एवं न्याया की आशा नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील गंगादान बनाम ग्राम पंचायत उजोली को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम से किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल करने की कृपा करें।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार/अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी से कोई बात नहीं की गई है। हम अप्रार्थीगण की पीठासीन अधिकारी से कोई जान पहचान नही है ना ही हम पीठासीन अधिकारी से कभी मिले है। पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष है। मुकदमा मुन्तकिल किये जाने का कोई औचित्य नही है। मुकदमा मुन्तकिल कराये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण साक्ष्य सहीत दर्ज नही किया है तथा आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नही किया है लिहाजा प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावें।

(5)

हमनें पत्रावली व प्रार्थी वकील द्वारा पेश दस्तावेंजात एवं पीठासीन अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पीठासीन अधिकारी उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रकरण गंगादान बनाम ग्राम पंचायत उजोली को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय को कोई आपत्ती नही हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में पत्रावली मुन्तकिल करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण नही बताया गया है तथा किसी स्वतन्त्र व्यक्ति के साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18–06–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18.6.18

(बी.एल.रमण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)